कार्यालय गोरखपुर विकास प्राधिकारण, गोरखपुर ।

देवरिया बाई पास रोड, रामगढ़ताल परियोजना, गोरखपुर ।

प्रदेशन पत्र

संख्या /दस–सम्पत्ति/गो0वि0प्रा0/2023–24, दिनांक– / /2023

सेवा में,

श्री/श्रीमती ....
पुत्र/पत्नी श्री ....
पता ....
....
....

महोदय/महोदया,

आप द्वारा आन लाइन आवेदन सं0–ओआरए .... के माध्यम से प्राधिकरण की खोराबार आवासीय योजना में खोराबार मिनी एम0आई0जी0/एम0आई0जी0 ग्रुप हाउसिंग आवासीय योजना के अर्न्तगत दिनांक– .... को रू0– .... (रूपया ....) मात्र आन लाइन प्राधिकरण निधि में जमा करके मिनी एम0आई0जी0 एवं एम0आई0जी0 (स्टिल्ट + 14) के फ्लैट आवंटन हेतु पंजीकरण कराया गया है । उक्त योजना का दिनांक .... को सर्व साधारण के समक्ष सम्पन्न लाटरी में .... तल पर फ्लैट संख्या– .... आपके पक्ष में आवंटित किया जाता है, जिसके विरूद्ध निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :–

(क) फ्लैट का क्षेत्रफल .... वर्ग मीटर भूखण्ड मूल्य व जी0एस0टी0 व लेवर सेस शुल्क सहित फ्लैट का मूल्य रू0–.. मात्र है ।

(ख) जमा पंजीकरण धनराशि रू0–..

(ग) नगद क्रय पर एक मुश्त देय धनराशि रू0–.. मात्र दिनांक– / /2023 तक जमा करनी होगी ।

(घ) आवंटन के समय फ्लैट मूल्य का 25 प्रतिशत धनराशि रू0–.. मात्र दिनांक– / /2023 तक जमा करनी होगी ।

(ड.) फ्लैट मूल्य का अवशेष धनराशि रू0–.. मात्र 10 वर्षो में 15 प्रतिशत ब्याज लगाकर बनायी गयी किश्त रू0– .... (रूपया ....) मात्र मासिक किश्त दिनांक ....से देय होगी, जो प्रत्येक माह की 07 तारीख तक जमा करनी होगी ।

(च) विविध शुल्क :–

आपके पक्ष में आवंटित फ्लैट के मद में नियमानु सार फ्रीहोल्ड चार्ज एवं अन्य देयकों की मांग अलग से की जायेगी।

(छ) अनुबन्ध/विक्रय विलेख हेतु नियमानुसार स्टैम्प पेपर व निबन्धन शुल्क देय होगा ।

नोट :– (1) किसी भी देय धनराशि को विलम्ब से जमा करने पर 12/18 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दण्डात्मक ब्याज देय होगा, जो अधिकतम तीन माह तक देय होगा ।

(2) फ्लैट का मूल्य पूर्णतः अनुमानित है, योजना पूर्णतः विकसित होने पर या न्यायालय के आदेश अथवा किन्ही अन्य कारणों से भवन मूल्य में बढ़ोत्तरी होगी, तो वह आवंटी को फ्रीहोल्ड सम्पन्न होने से पूर्व देय होगा ।

उपरोक्त विवरण अंश (ग) व (च)/(घ), (ड.) व (च) में अंकित समस्त धनराशि यूनियन बैंक, शाखा तारामण्डल–2, गोरखपुर के माध्यम से प्राधिकरण निधि में निर्धारित अवधि के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा । आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर आवंटन निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रू0–.. मात्र का 20 प्रतिशत जब्त करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा । परन्तु जो आवंटी निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा नही करते है, और न ही आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते है, उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर वांछित धनराशि जमा करने हेतु प्रेषित किया जायेगा और फिर भी यदि आवंटी वांछित धनराशि प्राधिकरण निधि में जमा नही किया जाता है, तो उनके पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत के साथ कुल मूल्य का आवंटन तिथि से निरस्तीकरण की तिथि तक 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम 02 माह का ब्याज भी पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी ।

यदि किसी मामले में आवंटी द्वारा अतिरिक्त समय लिया जाता है, तो प्रदेशन पत्र की तिथि से निरस्तीकरण की तिथि तक की पूर्ण अवधि का ब्याज तथा पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती की जायेगी ।

(3) फ्लैट के मद में जमा पंजीकरण धनराशि तथा फ्लैट मूल्य की अवशेष धनराशि, किश्त एवं फ्रीहोल्ड शुल्क की धनराशि पर नियमानुसार जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी । यदि निर्धारित तिथि तक वांछित धनराशि जमा नही की जाती है, तो ब्याज की धनराशि पर भी जी0एस0टी0 देय होगा ।

(4) आवंटन/प्रदेशन पत्र फ्लैट के मानक क्षेत्रफल के आधार पर निर्गत किया जा रहा है, लीज प्लान प्राप्त होने पर प्राधिकरण के नियमों के अर्न्तगत यदि कोई अतिरिक्त धनराशि देय होती है, तो उसकी मांग अतिरिक्त मांग पत्र भेज कर की जायेगी ।

सहायक सम्पत्ति अधीक्षक,
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर ।